[Shri M. Kandaswamy]

sely affected. Under the circumstances, if the Government consider giving a special rebate of 10 per cent to 20 per cent for a period of one month at least as was done in 1978, there is every possibility of clearing the accumulated handloom cloth in Tamil Nadu. Otherwise, it is feared that if the accumulation of handloom cloth still increased, the entire trade will come to a standtill and ultimately collapse and ruin the industry.

I, threfore, request the Government and the Minister of Industries and Commerce to take immediate steps to provide a 'Special Rebate' on handloom cloth and save the poor handloom cloths and save the poor handloom weavers engaged in the trade.

14.42 hrs.

FOOD CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, be taken into consideration."

We are seeking to amend Section 12A of the Food Corporations Act which provides for a second opportunity to be given to employees who were transferred from the Food Department of the Government of India to FCI. This Section was inserted in 1968 in the Act because it was provided under the Constitution that this second opportunity for Government employees had to be given. Now we seek to bring the provisions and the terms of conditions of these employees who are transferred from Flood Department to FCI on a par with other employees of the Food Corporation of India. Infact, aften the constitution 42nd Amendment Act of 1976, it is no longer necessary to provide this second opportunity during the disciplinary proceedings to any Government employee.

We also want to amend Section 44 of the Act. This relates to laying of rules before the Parlament.

Section 45 of the Act also is sought to be amended. This is with regard to giving retrospective effect to regulations framed by the FCI with the safeguard that these regulations applying with retrospective effect will not in any way be detrimental and prejudicial to the interests of the persons.

There is a new Section also to be added which is also a very minor amendment of Section 45.

I hope Hon. Members will give their support to this Bill and pass it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved.

> "That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, be taken into consideration."

Time allotted to this Bill is one hour. Shri Satyasadhan Chakraborty will initiate the discussion.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): This Bill, as the Hon. Minister has said, has something to do with the emergency days because during the Emergency, our Constitution was amended not to support the people but to suppress the people.

And all the provisions during the period of Emergency.....

RAO BIRENDRA SINGH: Is he speaking on the Constitution or on the Food Corporation of India Act?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: On both because you have mentioned that the Forty-Second Amendment took place in 1976.....

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar): On a point of order. Was he in the Assembly or Parliament at that time?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: That does not matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: His party must have been there. That is why, perhaps, you must give him some chance to speak on Emergency now.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: The people of India have unequivocally expressed and given their verdict against the Emergency which signified the defeat of Mrs. Indira Gandhi, the chief architect of Emergency. (*Interruptions*) Now I find that the Government is trying to revive that ghost of Emeryency in the shape of this Amendment because during those days the democratic rights of the Government employees were curtailed—they were not curtailed but actually the employees were denied these rights. Now they are trying to extend the same thing to the employees of the Food Corporation of India. What are those rights? Mr. Deputy-Speaker, Sir, as a trade unionist, you know better than I do about the right of an employee, before he is charge-sheeted or punished to be heard. There was a provision that he would be heard once when he is charge-sheeted and he would be heard again when any sort of penalty is imposed.

RAO BIRENDRA SINGH: Why?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: You will not understand because you are an anti-worker. Being an employer, you cannot understand it. Only the wearer knows where the shoe pinches.

These were the rights which the Government employees got through their long-drawn struggle. These were not the gifts of any Government, these were the results of their struggle; through struggle they achieved these rights. During the days of Emergency, during the dark days of Emergency, the Government headed by Mrs. Indira Gandhi tried to take away all the rights. Now I find that the employees of the Food Corporation of India, through this Amendmtnt, are going to be deprived of their democratic rights. Now may I ask this question? The hon. Minister has taken the plea that, since the Central Government employees do not enjoy this right of being heard twice, why should it not be extended to the FCI. The wisest course, and the most democratic course, would have been to restore the right of the Central Government employees, what you took away from them during the days of Emergency, since the people have voted against the Emergency, since the people have punished you and you have accepted that punishment by saying that you did certain mistakes. Now why are you trying to continue the same mistakes?

In the Statement of Objects and Reasons of this Bill, the hon. Minister has said:

> "....employees of the Central Government whose services were transferred to the Food Corporation of India are entitled to a second opportunity of making representation in disciplinary proceedings where it is proposed to impose on the employees concerned the penalty of dismissal, removal or reduction in rank."

Particularly, I would say, in the FCI the ordinary employees require protection because—I do not know whether the hon. Minister will agree with me or not, but facts are facts—the facts are that the FCI has become notorious for its inefficiency and corruption. Last year you know a case was reported where many lakhs of rupees were involved in Punjab and where bags were not loaded in the wagons and lakhs of rupees were embezzled. By whom? I have with me a report of the Deputy Commissioner of Police, Crime Branch, Shri K. K. Paul. What does he say? This has appeared in the *Hindustan Times* of 14th February, 1981.

> "The bags were not loaded in the wagons at all. The records were cooked up and the grains were sold by procurement agents to a third

[Shri Satyasadhan Chakraborty]

party. Nearly 300 bags per Food Special and sometimes even more were not loaded."

Inefficiency and corruption—that is what the Food Corporation of India is. Sometimes the employees of the Food Corporation of India, because they are the persons who know it, bring all these things to the notice of the authorities and the higher ups but the officials try to take revenge. Where is the protection? On flimsy grounds they are charge-sheeted. These are the persons who require protection. Because many of the cases were brought to the notice of the authorities by the ordinary employees of the Food Corporation of India, the people who require protection are being denied prtection and it will be very easy for the Government to take penal measures against them. Not only that before taking any penal measures, justice demands that you should think twice. Just as we have two Houses of Parliament and they say there should be two Houses - if one House which commits the mistake the other House will correct it, it has to be so in the case of even the lowest body. How can you be sure that the charges brought against an employee should not be gone into twice. Why twice? It should be gone into many times because loss of employment means loss of bread of a family....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member's time is up.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: You should give me some time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will will be taking some other's time most probably, the time of Mr. Parulkar.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: So I wholly oppose this provision of the Bill. This is undemocratic. This is anti-employee and this will help to increase corruption in the Food Corporation of India because the honest employees who may be fighting against corruption will be victimised due to this.

Now I come to the Food Corporation. It was established - for what? For giving remunerative prices to the growers and for making available foodgrains at a reasonable price to the consumers. But what is FCI now doing? The primary aim of Food Corporation of India was to eliminate the .middleman but now the Corporation has become one of the agents and the middlemen are operating. You only procure 12 per cent of rice, wheat and coarse grain and on the rest of it you do not have any control. Not only that, the quality of the foodgrains you procure is also subject to question. I can quote from the newspapers. This is *Patriot* of 1st May, 1981.

> "A laboratory analysis of the samples of foodgrains procured for the FCI also showed that in several cases the quality inspectors had accepted foodgrains which should have been rejected. In 1980 there were as many as 141 such cases relating to paddy procurement and 128 cases relating to wheat procurement."

This is how the FCI is cheating the poor consumers. You know the rich consumers can buy from the open market. You are compelling the poor consumers, whom you proclaim that you want to serve, to accept the inferior quality of rice. You compel them to accept the inferior quality of rice and wheat which should have been rejected as unfit for human consumption. The other day, I brought here the quality of rice that is being supplied to the Orissa cyclone-hit people. Why? That is because of corruption of your officers who are involve.d in this. That is how you are sqandering away the people's money. How are you running the FCI? You are running it with deputationists. Why are you not filling

up your vacancies? You talk about unemployment. Mrs. Gandhi promised in 1980 elections 'put me to power and I will give employment for each family.' Then what are you doing? You do not fill up the vacancies. You run the FCI by the deputationsists. In this House, I want to say that you profess one thing and do a different thing. In this House they say that they are against overtime. Who are the persons who are giving overtime? You are the people—this Government—who are paying overtime to the FCI employees without filling up vacancies. You are depending on the deputationists either from your own Government or from the State Governments. Not only that. You have stopped the promotional avenues. You are not filling up the higher posts through promotions. What is your policy? You are keeping the posts vacant : you are getting things done by the deputaionists. The Minister has to look afresh into the whole operation of the FCI I) his operational cost; (2) his administrative cost; (3) his policy towards his employees and (4) corruption and inefficiency.

I would like to say that the Central Government is pursuing a policy of discrimination so far as West Bengal and Tripura Governments are concerned. It will be evident because you know these two Staes have public distribution and these two depend upon the Central Government for the supplies of foodgrains. What is the position? To be very precise and without taking much of your time, the important point is this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should have taken this as first.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, the minimum monthly requirement of rice is 1.75 lakhs M.T. and 1.55 lakhs M. T. of wheat so far as West Bengal is concerned. Its total minimum requirement is 3.30 lakhs M.T. We have calculated the production, loss etc. of West Bengal and what the Central Government is supplying us. Your monthly allocation to us ranges from 1.30 lakhs M.T. to 1.40 lakhs M.T. of rice but it is only .95 lakh M.T. of wheat. What is your total monthly supply? It is only 2.25 lakhs M.T. to 2.35 lakhs M.T It is your responsibility but what are you doing. Even what you are allocating is not reaching. Why? Because of your quarrel or lack of coordination with the railways. What you allocate falls short of the minimum requirements. Even then, the fooograins do not reach West Bengal because of shortage of wagons as also due to inefficiency on the part of the railways.

The third thing is that even what should reach there does not reach because of lack of proper planning and distribution.

15.00 hrs.

We have raised this, times without number. This is the allocation figure that I give you. You will check it up. because the responsibility of feeding a deficit State lies with the Central Government. You have received a delegation from Tripura. These two States are dependant on you. I am only trying to place before you the genuine demands of the people of West Bengal and not score any debating point.

Sir, the hon. Minister knows how much we depend on the public distribution system. In his letter to the Chief Minister of West Bengal he has said that one of the points of 20-point programme is strengthening of public distribution system. If you really want to strengthern the public distribution system then you must keep the supply of foodgrains going. That is how I draw the attention of our hon. Minister. I do not know how long he will be there but I am sure he will look into the grievances of both the States—West Bengal and Tripura. I would also request him to

[Shri Satyasadhan Chakraborty]

withdraw this Bill and thus not curtail the democratic rights of the employees of the Food Corporation of India.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): Mr. Deputy Speaker, Sir, This Bill has been brought in conformity with the Constitution of India and to bring it at par with the other Government employees. The fact remains that in FCI the food is more eaten by the employees than the rats. Hence disciplinary action is very much necessary in that Department. Some of the hon. Members in the Opposition supporting unionism in various Departments—including FCI— are creating more indiscipiine and instability.

Sir, having said this, on the other aspect of the activities of the Food Corporaton of India I will support my friend, Shri Satyasadhan Chakraborty regarding the supply position in North Eastern region. I have full respect and honour for the hon. Minister. Whenever personally we have met him he has tried to solve our problems. The basic difficulty in respect of North Eastern region now is the movement of foodgrains by rail and it is creating a serious problem. Recently we have seen that a team of Press people was taken to North Eastern region and they have given some reporting on TV and in the newspapers. Sir, I do appreciate that the FCI in North Eastern region is doing its work under the difficult situation as the functions they have to do in remote areas are unusual as compared to other part of the country. Now, Sir, as compared to the district of Cachar which has a population of 22 lakhs our adjacent area, viz., Mizoram with a population of 5 lakhs get foodgrains. The first consideration goes to the Mizoram people. I do not object to their getting but as compared to the supplies they get with a population of 5 lakhs our district with 22 lakhs get only 20 per cent. Same is the position with the districts of Dihrugarh and Jorhat. I had pointed it out to the hon. Minister in the past as well. Then he intervened and solved the problem. But why should we go to the hon. Minister every day and create a situation which is both awkward for him and me. So, I will request him that certain buffer stock should be built up in North Eastern region as floods and natural calamities are an annual affair. As regards my district I have given the facts and figures.

Sir, as per the All India norms we have to get 8 K.G. of rice every month. But, unfortunately, from Jauary 1982 onwards till today all these fair price shops, especially in Assam, get only 2 K.G. of rice in a month. As a result of this, the price in the open market has gone up extremely high and we are facing very many difficulties.

I must also say in this connection that in the North Eastern Region, because of the remoteness of the area, pilferage and theft cases are the maximum. In my district I know there is a gang which is creating trouble, which is indulging in pilferage from the godowns.

RAO BIRENDRA SINGH: C.P.M. workers...

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is anti-communism, ingrained in the blood, this comes out of class instinct. (*Interruptions*)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: And, Sir, whenever any action is taken against a particular employee might be, they try to paralyse the or any union, whatever that union distribution system indulging in all sorts of activities; clearance from railway wagons and movement of foodgrains are thereby disclocated; supplies cannot be rushed to different points. Government should be more firm in dealing with these elements. Government must be very strict in dealing with these indisciplinary elements. Strictest action must be taken whether the person concerned belongs to INTUC or CITU or any other union.

In the end, I would say, the FCI is an essential service. As such, the Government should be more strict in giving even the first chance for hearing in cases of indiciplne: This should be withdrawn as FCI is an essential service. While all the strictest action should be taken, I do feel that all amenities should be given to these employees, because, they are working in an essential service and serving the people.

With these words I support the Bill. Thank you.

*Shri D. S. A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to say a few words on the Food Corporation Amendment Bill. This Bill is a short and brief Bill, confining itself to the modification of rules relating to the right of the employees for placing their points of view when they are charged with certain defaults. There is nothing much to say about this Bill. I welcome this Bill, and support it.

The Food Corporation of India is the premier commercial undertaking of the Government of India. The Food Corporation of India procures maximum quantity of foodgrains produced in the country. Besides, the Food Corporation maintains a buffer stock of nearly 220 lakh tonnes. Under the National Rural Employment Programme, in 1980-81 for different States 10 lakh tonnes foodgrains were distributed by the F.C.I. If you look at the annual report of the F.C.I., you will find that the FCI handles about Rs. 3000 crores annually. Each year the FCI procures nearly 2,000 lakh tonnes of grains from the farmers.

Recently, the export obligations for the despatch of superfine rice to Russia and other countries has been jeopardised because of the failure of FCI to procure rice from Andhra Pradesh. The other day this news appeared in the front page of all the papers. Is it due to the inefficiency of the employees or is it the consequence of frustration on the part of farmers because of misbehaviour of the employees? If the employees fail to discharge their allotted duties, the sort of punishment to be awarded to them must be defined in the Bill itself.

The Committees of Parliament have many times pointed out that the inspection system in the FCI is very weak. After purchasing superfine rice, the price of low quality rice is paid to the farmers by the employees. Such allegations have been levelled at several times by the farmers. The hon. Minister should explain how these allegations have been disposed of.

Sir, more than 65 lakh tonnes of foodgrains are stored by the FCI in the open. The responsibility for maintaining the stocks devolves on the employees. I have seen in Punjab, Haryana and other northern States that the grains have been stacked in the platforms of Railway Stations in the open. No doubt the FCI is constructing gigantic godowns; yet godown space is not enough. Naturally the grains are exposed to sun and showers. I would like to know what kind of facilities are being extended to the employees charged with the duty of protecting the foodgrains stacked in the open.

I have raised on the floor of this House question relating to the payment of huge demurration charges to the Railways by the FCI. No doubt the hon. Minister gave a satisfactory reply to my question. But I want to know whether this continues and if so the reason for the payment of demurrage to the Railways by the FCI.

I was in Maladive Island Republic some two months ago. This Republic is off the coast of Trivandrum. It is a poor country. Yet, it is compelled to get rice from Burma after paying heavy freight. That is because we are not supplying rice to the people of this Republic. The public of Maladive

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri D. B. A. Sivarakasam]

Islands requested me to take up with the Government of India for the resumption of supplies of rice to them, as they cannot continue to pay heavy freight for getting rice from Burma. I request the hon. Minister to look into this and order the supply of rice to Maladive Islands. The FCI must be directed to do this by the hon. Minister.

With these words I resume my seat after supporting this Bill.

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड कारपोरेशन देश की सुविधा के लिये बनाया गया है । अभी यही एक माध्यम है, जिससे हम बिचौलियों से बचते हैं । इसमें जो संशोधन लाया गया है और जिस पर चर्चा हो रही है, उसके पक्ष में मैं अपने विचार प्रकट करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे अन्य रूप में न देखा जाय । जैसे ट्रेड यूनियन का काम मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने का है, मगर जो राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम हैं, इसके अन्तर्गत ट्रेड यूनियन का रूप भी बदल जाना चाहिये, । ट्रेड यूनियनों में मजदूरों के संरक्षक जो अपने विचार रखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर केवल उसी दृष्टिकोण से न देखें । वे भी अपने प्रांत के अन्दर जिम्मेदारी निभा रहे हैं जहां पर खाद्यान्न की पूर्ति करना और साथ ही साथ जो उत्पादक हैं, उन्हें उचित मूल्य देना इसका यह एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर हमें चलना होगा । वहां मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी या टेड यूनियन के नेता की जिम्मेदारी यह होती है कि उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें । केवल एक पक्षीय दृष्टि न देखें । इसी दृष्टिकोण से यह संशोधन लाया गया है ।

साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वर्ग का हम संरक्षण करने जा रहे हैं, जो खाद्य विभाग से परिवर्तित होकर खाद्य निगम में पहुंचे हैं, उन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप रख रहे हैं । यह ठीक है, लेकिन वहां के जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हे उनकी तरफ भी विशेष ध्यान दें । ये आज ठेकेदारों के बीच पिस रहे हैं । जो मजदूर वहां लोडिंग अन लोडिंग का काम कर रहे हैं, बहनें भराई का काम करती हैं और जो कर्मचारी पीठ पर लादने का काम करते हैं, ये सब ठेकेदारों के बीच पिस रहे हैं । उनके लिये किसी भी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है । मैं जहां पर रहता हूं वहां भी खाद्य निगम का भंडार है । बहुत से मजदूर वहां पर ठेकेदारों के शोषण का शिकार हो रहे हैं । किसी को नौकरी की सुरक्षा नहीं रह गई है । इस पद्धति को खाद्य निगम से समाप्त किया जाना चाहिये ।

दो तरह की नीति आप चला रहे हैं । एक तरफ खाद्य निगम के कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, जिन को पूरी सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, सेवा की सुविधा है और दूसरी तरफ ठेकेदारों के अन्तर्गत काम करने वाले लोग हैं जिन को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है और आज वे अगर काम कर रहे होते हैं तो कल को सड़क पर चले जाते हैं । उनको भी पूरी सुविधा दी जाय । कर्मचारी बीच में अपनी सोसाइटी बना कर काम करते हैं अभी की जो स्थिति है उस में उनको भी कोई विशेष सुविधा नहीं रहती है और ठेकेदार ही ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते हैं । जब आप कर्मचारियों की सुरक्षा की तरफ देखते हैं तो सब से नीचे का जो वर्ग है और जो सबसे अधिक तकलीफ में है उसकी तरफ ही आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

आपका जो उद्देश्य उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने का है वह लाभ भी उसको कुछ अंशों में मिलना चाहिये । व्यापारी कम्पीटीटर के रूप में बीच में आता है जो उत्पादक

का अनाज खरीदता है । आप जो खरीद करते हैं उपभोक्ताओं के लिये उसकी आप ने एक कीमत निश्चित कर रखी है और उस आधार पर आप उनको देते हैं । लेकिन जो उत्पादक है उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । आप खरीद की परिधि को बढ़ाएं, आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों में और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में । वे जो पैदा करते हैं—उसकी और आप ध्यान दें । बस्तर में ताड़ काफी बड़ी मात्रा में आदिवासी एकत्र करते हैं । उस का उपयोग हम धीरे धीरे खाद्यान्न के रूप में करते जा रहे हैं आदि वासी लोग जो उसको बीन कर लाते हैं उनको मुश्किल से पचास पैसे किलो ही मिलता है । जबकि उसको मूल्य बाजार में जा कर तीन रुपये से भी अधिक होता है जो प्लांट बना कर रखते हैं उनको पूरी असुविधा हो रही है । आदिवासियों का जीवन इस पर बहुत ज्यादा आधारित रहता है और उन का बड़ा भारी शोषण हो रहा है । जिन खाद्यान्नों से आदिवासियों का जीवन प्रभावित होता है उनको भी आप अपनी परिधि में ले, अपने हाथ में लें ।

किसानों से आप जो माल लेते हैं और उसको बेच कर जो आपको लाभ होता है वह पूरा का पूरा खाद्य मिगम को ही जाता है । उससे किसान लाभान्वित नहीं होता है । जिन किसानों से आप धान आदि खाद्यान्न लेते हैं उस पर आपका जो मार्जिन होता है और जो लाभ आपको होता है, उसका कुछ हिस्सा किसान को भी मिलना चाहिये, यही मेरा निवेदन है ।

SHRI BAPUSAHEB PARULKAR (Ratangiri): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand to oppose clause 2 of the Bill, and in doing so, I endorse the arguments of my esteemed colleague, Prof. Satyasadhan Chakraborty as far as the constitutional aspect of it is concerned.

It is mentioned in the Statement of Objects and Reasons that in order to bring the provisions of this Act in consonance with the amendment in Article 311(2) of the Constitution passed during Emergency regime, this Bill has been introduced. I need not repeat as to how that Constitutional Amendment Bill was introduced, hustled and passed. If you remember and read the debates of the 42nd Amendment, you will find that when the Bill was introduced, the Government was..........

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): When the 42nd Constitutions Amendment Bill was passed, why was this Bill not amended?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will you please keep quiet; Please have some patience.

When this Bill was introduced, the Bill came to be introduced, though it was the 42nd Amendment, as the 40th Amendment, and the hon. Minister had to apologise to this House for haste. Moreover, none of us were here to oppose that particular measure at that particular time.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): Where were you?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: It was the pleasure of the Prime Minister to detain us during that period and, therefore, there was no voice of the Opposition to oppose this particular measure. Even if it is now said that they are introducing this measure in order to bring it in consonance with the Constitution amendment, I do not know how the wisdom has dawned upon the Government after seven years. By this particular measure the rights of the Government employees holding the civil posts of the State or the Union are being stripped. The doctrine of double opportunity, which was well recognised since the framing of the Constitution was very well debated during the debates of the Constituent Assembly.

Sir, the Hon. Minister asked a question when Prof. Chakraborty was speaking as to why this double opp-

[Shri Bapusaheb Parulekar]

ortunity is necessary. May I ask a question as to why this double opportunity is not necessary? What is the objection? What is the impediment? What is the hindrance. If you want an answer, I may say that it gives an opportunity to a delinquent to say as to why dismissal should not be given, but only the punishment by way of reduction in rank? Dismissal may not matter to you—the employee or the Government—but the delinquent or the employee is very much concerned with the punishment. Now, if at all any further reasoning is necessary, I will only request the Hon. Minister to kindly go through the debates of the Constituent Assembly. For three days the measure was discussed. And I may request him to go through the speeches of Dr. Ambedkar and Mr. H. V. Kamath specially, who dealt very minutely over this particular measure: and after all this dicussion, they introduced this measure of double opportunity under Article 311.

Sir, we have article, 310 which speaks about the 'doctrine of pleasure'. Practically you are incorporating the doctrine of pleasure by making this amendment under the guise of bringing it in consonance with the Constitution amendment of 1976. Article 310 mentions that any Government servant serves at the pleasure, as far as the Union employee is concerned of the President, and, as far as the State Government employee is concerned, of the Govenor. And he can only say 'you have incurred my displeasure and you are no more in service'. And we have the Chairman of Railway Board, Mr. Ganguli'case, which is an instance of doctrine of pleasure.

By Clause 2 you are not only deleting the provisions already in existence in the Food Corporation Act in Clause (b), but in order to have a safeguard you have further said,—positive and negative, that it shall not be necessary to give him any hearing as far as the quantum of punishment is concerned, as if the deletion of some part of Clause (b) was not sufficient to draw that particular inference. That shows your attitude towards Government employees. Now, you want to keep the sword of Damocles hanging on the heads of the Government employees, Kindly tell us as to how with this they will serve and whether they will be sincere in discharging their duties?

With this, I expected that the Government would also come forward with some amendment with reference to the Proviso.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I don't know whether you have gone through the Provison to this Clause (b) of 12 (a), which mentions:

"Provided that this Clause shall not apply where an officer or an employee is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which led to conviction of criminal charge."

What criminal charge? If a Government employee is convicted for rash driving under 304(a) I.P.C. should he be dismissed? Supposing he evades taxes under tax laws,. under Municipal laws, is he starightaway to be dismissed without giving an opportunity of being heard as regards the quantum? When you have come with this measure, at least you should have come forward saying any offence involving moral turpitude, because there are so many offences, there are so many convictions, which in legal terminology we say 'felonious tart'. In fact, it is a civil wrong, but it is converted into a criminal offence, which is a felony. Therefore, I would sincerely urge upon the Minister to consider whether this blanket right, which is given to the Government and to the employer to have any action without trial is

correct. To my mind that is not correct. This refers not only to giving him an opportunity with reference to the quantum of punishment, but this provides even the removal or dismissal without holding a trial. This exactly is in consonance with the doctrine of pleasure under Article 310. And I expected—whom you are coming forward saying that you are also concerned the rights of the employees—you should have done that.

Clause 2 again gives right to the Government or the employer or a superior officer not to have any inquiry for any reasons which are satisfactory to the employer. I do not know what exactly you mean. No guidelines have been provided. I, therefore, respectfully submit that a stage has now come to restore the rights of the Government employees whether of the Centre, or of the States or Union Territories, holding civil positions, and to consider whether amendment of Article 311 of the Constitution is necessary. I will appeal to the Government to reconsider this position, especially against the background of the views expressed by the framers of the Constitution, particularly those of Dr. Ambedkar on this issue; and to restore the rights by amending the Constitution. And till then, kindly withdrawn this Bill.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल की तरफ से जब कोई बिल आता है, तो हमेशा उसका विरोध ही नहीं करना चाहिये । बिल में जो अच्छी क्लाजिज है, उनका एप्रिशिएशन भी करना चाहिये । कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 311(2) में 1976 में जो एमेंडमेंट किया गया था, जब इन लोगों की सरकार थी, तो इन्हें उस प्राविजन को एमेंड करने का अवसर दिया गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया । जब कांस्टीट्यूशन का एमेंडमेंट किया गया, उस समय भी किसी सदस्य ने इसको प्रोपोज नहीं किया । आप प्रोसीडिंग्ज को देख सकते हैं । मैं भी सदन में मौजूद था ।

क्लाज 12 ए में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर एतराज किया जा सके । इसमें कहा गया है:—

"Where an officer or employee is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge;...."

माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें मारल टर्पीट्यूड का आधार होना चाहिये । इस में कहा गया है "आन दि ग्राउंड आफ कन्डक्ट", जिसमें सब कुछ आ जाता है ।

फूड कारपोरेशन एक्ट, 1964 की जो भावना थी, क्या उसकी अनुपालना हुई या नहीं ? कृषि मंत्री का महकमा बहुत बड़ा और लम्बा चौड़ा है । कानून तो पास किये जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार सदन में रिपोर्ट नहीं रखी जाती है । सैक्शन 35 इस प्रकार है:—

"(1) 'A Food Corporation shall, as soon as possible after the end of each year, submit to the Central Government an annual report on the working and affairs of the Corporation.

(2) The Central Government shall. as soon as may be after the receipt of such report and the audit report received under section 34.. to be laid before both Houses of Parliament."

कमेटी आन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज (1980-81), सेवन्थ लोक सभा, 22वीं रिपोर्ट में कहा गया है:—

"There has been undue delay in presenting of Annual Report of the Corporation to Parliament. The

[मूल चन्द डागा]

reports for the years 1978-79 and 1979-80 have not yet been presented until January 1981."

राव बीरेन्द्र सिंह : ये किसने नहीं रखीं ?

श्री मूल चन्द डागा : यह उन लोगों की गलती है । मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि आपकी गलती है । यह मेन्डेटरी प्राविजन है । इसके मुताबिक एनुअल रिपोर्टस यहां पर रखनी चाहिये थीं ।

सैक्शन 6 में बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की बात कही गई है । स्टेट बोर्डज सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बनाये गये थे । वे भी खत्म कर दिये गये । लकिन इस को हालत क्या हुई ? इस क्लाज को आप देखें । मैंने जब इस को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि फूड कारपोरेशन एक्ट की इस क्लाज को देखने का काम तो सब को पड़ता ही है ? यह इस प्रकार है :

Section 6: (2) The board of directors, in discharging its functions, shall act on business principles having regard to the intersts of the producer and consumer and shall be guided by such instructions on questions of policy as may be given to it by the Central Government.

अब यह सारी रिपोर्ट बताती है कि 30 परसेंट डायरेक्ट परचेज प्रोड्यूसर से होता रिपोर्ट कहती है कि

Seventy per cent is purchased by 'katcha artiyas' in Haryana and Punjab.

और इन्होंने यह बताया है कि इस की हालत क्या है, अगर कोई इस को पढ़े तो मालूम होगा :

'The bank overdraft was of the order of Rs. 2033.58 crores as at the end of March 1980. The Committee have indicated earlier the steps that could be taken to improve the ways and means position and reduce the cash credit. It is a matter of concern that the outsanding dues to the Corporation were Rs. 452.57 crores of which Rs. 183.73 crores were more than six months old. There should be stricter credit control.'

But it is not done.

अब जो आप का कारपोरेशन है उस की हालत क्या हो रही है कि कहीं भी रूल्स फ्रेम नहीं हो रहे हैं ।

Still the rules were not framed. The Act was pased in the year 1964.

1964 के एक्ट होने के बाद भी एडवाइजरी कमेटीज जो बनीं उस में कहीं भी फार्मर्स का इंटरेस्ट देखने वाला कोई उसमें नहीं है, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट देखने वाले सब है और एक साल में केवल एक सिटिंग उस की होती है । तो यह फूड कारपोरेशन आफ इंडिया है जिस की हम तारीफ करना चाहते हैं और काम वह यह कर रहा है । मेहरबानी करके कभी-कभी इस को भी आप देखें कि यह फूड कारपोरेशन आफ इंडिया काम क्या कर रहा है ? मुझे आज इस बात का दुख होता है कि इसकी हालत यह है—आपरेशन कास्ट इसका 24, पिल्फरेज अलग और बाकी और भी इस के काम करने का तरीका इसी तरह का—तो बिल तो आप लाये हैं अमेंडमेंटक का, मेहरबानी करके रूल्स भी आप सदन की टेबल पर रख दीजियेगा । इस के लिये मैं फिर आप से कहना चाहूगा कि रूल्स जल्द से जल्द रखे जाने चाहिये । कई बार कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन ने कहा है

....that as soon as the Act is passed, within six months the rules must be placed on the Table of the House. But years pass, away, nobody cares for the report. Nobody goes through the report. Nobody takes notice of the re-

commendations made by the Committee. That is the horrible condition. And strictures have been passed in this report itself. Who cares for this Committee?

तो यह बड़े दुख की बात है । रेगुलेशंस को देखें । अगर आप को रेगुलेशंस लागू करने हैं तो आप को उन्हें सदन की मेज पर रखना चाहिये ।

इस प्रकार से इसकी जो सारी कास्ट प्राइस है और इसकी आर्थिक हालत है उस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है । मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर और कन्ज्युमर को इससे लाभ होना चाहिये वह नहीं हो रहा है । मैं तो यह कहता हूं कि अभी भी अकाल के समय में राजस्थान के अन्दर जो गांवों के रहने वाले आदमी हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के चलते हुये भी उन ग्रामीण लोगों को अनाज नहीं पहुंचता है जब कि शहर के अन्दर रहने वाले जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उन लोगों को अनाज मिल जाता है । गांव के रहने वालों को वह नहीं मिलता है । मैं आज यह कहना चाहता हूं कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का जो परपज़ है वह परपज़ आज भी अचीव नहीं हो पा रहा है । मेहरबानी करके इसको देखिये । आप के पास इतना बड़ा मुहकमा है और इतने उस के अन्दर विभाग हैं, कभी तो आप जंगल की तरफ घूमते हैं, फारेस्ट की तरफ आप को जाना पड़ता है, कभी कृषि के अन्दर जाना पड़ता है । फूड कारपोरेशन में आप घुस गये हैं लेकिन यह इतना बड़ा जंगल है जिसमें से आपका बाहर निकलना मुश्किल है । फूड कारपोरेशन में घाटा ही घाटा है । जैसा कि संतोष मोहन जी ने कहा, इसका अनाज आम चूहे नहीं खाते, वह कोई दूसरे ही चूहे हैं जो खा जाते हैं ।

मंत्री जी यहां पर जो बिल लाये हैं वह अच्छा है लेकिन फूड कारपोरेशन आफ इंडिया एक्ट के अन्दर काफी चेंजेज करने की आवश्यकता है और साथ साथ उसके अन्तर्गत बनने वाले रूल्स एंड रेग्यूलेशंस को जल्दी से यहां की टेबल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी): उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं । विरोध करने का कारण यह है कि आपने देखा होगा जब ये कोई अच्छा बिल लाते हैं तब उसका समर्थन करते हैं लेकिन यह बिल तो पाप की संतान है जिसे ये अपने कंधों पर ढो रहे । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस पाप की संतान को अपने कंधों पर मत ढोइये। यह पाप है इमरजेंसी का । इमरजेंसी में पास किये गये बयालिसवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मजदूरों के अधिकार छीन लिये गये थे, मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था । उस के विपरीत सरकार को तो ऐसा बिल लाना चाहिये था। हम मजदूरों के अधिकार बढ़ा रहे हैं । यह फ़ूड कारपोरेशन आफ़ इंडिया जो है, इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें तथा उपभोक्ताओं को कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें लेकिन जो हो रहा है वह बिलकुल इसके विपरीत है । जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया कि इसमें कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है । आज बिहार में सुखाड़ है । राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी सुखाड़ है । लेकिन बिहार का खाद्य कोटा काट दिया गया है । वहां के मुख्य मंत्री ने लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने कोटा काट दिया है । ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि वहां पर सुखाड़ की स्थिति है ।

यह फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जो है इसको जिस प्रकार की खाद्य प्रोक-

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

योमेंट एजेंसी होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है । बिचौलिये और इसके आफिसर घात कर रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार एक कांप्रिहेंसिव बिल यहां पर लाये जिससे कि, जो इसके पीछे लक्ष्य था, उसकी पूर्ति हो सके–किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकें और उपभोक्ताओं को मुनासिब कीमत पर अनाज मोहैया किया जा सके । ऐसा नहीं हो रहा है इसीलिये मैंने कहा है कि यह पाप की संतान है और इसको ढोने के लिये आपके कंधे मजबूत नहीं है । यह मजदूर विरोधी बिल आप यहां पर लाये हैं । हमने आपको अपोजीशन में बैठते हुये भी देखा है, अब आप को कुर्सी बदल गई है । आपको ऐसा नहीं करना चाहिये । यह पाप आपने ही नहीं किया है, यहां पर जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी तब दंडवते जी की सरकार को भी यह पाप नहीं दिखाई दिया था कि यह मजदूर विरोधी संशोधन किया गया है । अत: चाहे कांग्रेस (आई) की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो, जो भी मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करता है वह पाप का भागीदार है । ऐसा लगता है कि जितने भी मजदूर संगठन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स हैं, उनके हकों पर लगातार इंदिरा सरकार के जरिये हमले किये जा रहे हैं जिनमें से एक कदम यह भी है । मालूम होता है मजदूर वर्ग के अधिकारों को एक एक करके विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा छीन लिया जायगा । उसके बाद जो मजदूरों को कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को खत्म कर दिया जाय । सरकार कितने ही मजदूर विरोधी बिल पास कर ले, लेकिन मजदूरों में एकता पैदा हो रही है, आन्दोलन की भावना जाग रही है, सरकार मजदूर एकता संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकती है । मेरे विचार में आपको यह बिल नहीं लाना चाहिये था । 42वें संशोधन में जो मजदूरों के हक छीन लिये गये थे, वे हक उनको वापिस देने चाहिये थे । संशोधन में शास्त्री जी ने भी पटना की कुछ गड़बड़ियों की चर्चा की है । आपको पत्र भी भेजा है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस में व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्यकुशलता को सुधारे बगैर इस बिल से आपका काम चलने वाला नहीं है । जनता की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में कोई नया काम्प्रिहेंसिव बिल लाइये, ताकि उसमें कुछ सुधार किया जाय । जनता की निगाह में यह सफेद हाथियों की जमात है, इसका काम पैसा बनाना है । मुझ इसमें ऐसे मैनेजर की जानकारी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो कि उच्च अधिकारियों को घूस देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कहां उनको ज्यादा फायदा है और बाद में उनकी पदोन्नति हो जाती है । इस प्रकार की जहां पर स्थिति हो और भ्रष्टाचार ऐसा हो, सारा सदन और देश इस बात को जानता है कि उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कार्यकुशलता है । मेरी आपसे अपील है कि उसको पहले दूर किया जाए ।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह मजदूर विरोधी बिल है और मैं इसका विरोध करता हूं । (इति)

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और कहा है कि भारतीय खाद्य निगम में दिन प्रति दिन भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और इस भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो रही है । एफ० सी० आई० में भ्रष्टाचार है, यह इस बात से साबित हो जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले एफ०

सी० आई० में एक उच्च अधिकार प्राप्त उड़न दस्ते की स्थापना की गई है। इस का काम यह होगा कि एफ० सी० आई० के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जगह जगह छापा मारकर कार्यवाही की जायेगी।

एफ सी० आई० की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि काश्तकारों को, किसानों को, उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता तक, खाद्य सामग्री सही समय पर पहुंचे, लेकिन इन दोनों बातों में इसका उल्टा हो रहा है। जितना शोषण एफ० सी० आई० कर रही है किसानों का उतना शोषण तो मेरे ख्याल से आढ़तिये भी नहीं करते थे। अभी पिछले दिनों अप्रैल और मई में बारिश होने की वजह से गेहूं खराब हो गया। हमारी सरकार ने एलान किया कि जो किसान का गेहूं खराब हो चुका है, उसको उचित मूल्य पर खरीदा जायगा। उत्तर प्रदेश के जिस सूबे से मैं आता हूं, वहा पी० सी० एफ० मार्केटिंग विभाग और एग्रो आदि एजेंसियों ने किसानों से गेहूं खरीदा और आपको सुनकर ताजुब्ब होगा कि वह सारा गेहूं आकाश के नीचे पड़ा हुआ है, उसको एफ० सी० आई० नहीं उठा रही है। सेंट्रल पूल के लिये राज्य सरकारों की एजेंसियों से एफ० सी० आई० गेहूं खरीदी है, लेकिन एफ० सी० आई० ने इसके लिये उस गेहूं को नहीं खरीदा क्योंकि उसमें 40–50 प्रतिशत गेहूं खराब है। और वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन का नियम यह है कि अगर गेहूं में या किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में 15 परसेण्ट भी खराबी है, तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस को नहीं लिया जाना चाहिए और यह दलील एफ० सी० आई० देता है और एफ० सी० आई० का काम यह है कि जगह जगह पर जो केन्द्र बने हुए हैं और जो लगे हुए हैं, वहां से किसानों का गल्ला खरीदे लेकिन किसान अपना गल्ला ले कर जब आता है, तो वह दो-दो और चार-चार दिन पड़ा रहा है और एफ० सी० आई० के लोग उस का गल्ला नहीं खरीदते हैं। वे किस से गल्ला, किस से गेहूं खरीदते हैं? वे गेहूं खरीदते हैं दलालों से, आढ़तियों से। होता यह है और मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि भारत का किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही पलता है। किसान को शादी करनी है, अपने बच्चों का विवाह करना है और उस के दुनिया भर के खर्चे हैं और जब उस की फ़सल आती है, तो वह उसी पर डिपेण्ड करता है लेकिन होता क्या है कि दो-दो चार-चार दिन किसान अपना गेहूं लिये पड़ा रहता है और एफ० सी० आई० के लोग उस को पूछते नहीं और उसी गेहूं का बहुत कम कीमत पर दलाल और आढ़तिये खरीद लेते हैं और उन की मिली-भगत से एफ० सी० आई० उन से गेहूं खरीद लेता है। उन्होंने कमीशन तय किया हुआ है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not speaking on the amendment. There is no point.

श्री चन्द्र पाल शैलानी : उन्होंने कमीशन तय किया हुआ है और 200, 250 और 300 रुपये प्रति ट्रक जैसा भी पड़ जाए, रिश्वत दे कर, वह अनाज बेच लिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस चीज़ को देखें। वे भी एक किसान के बेटे हैं और उन के दिल में भी किसानों के लिए दर्द है जैसा कि हम सब के दिल में दर्द है। इस तरह की जो चीज हो रही है, उस को वे हटाएं। पेमेण्ट वगैरह भी जाली चैकों के द्वारा होती है और इस में भी आढ़तिये लगे हुए हैं।

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

एक दूसरी बात मैं चीनी के बारे में कहना चाहता हूं। चीनी दो प्रकार की होती है। अच्छे किस्म की जो चीनी होती है, वह कण्ट्रोल में बिकती है और उस को एफ० सी० आई० खरीदता है और दूसरी चीनी जो फ्री सेल में बिकती है, वह कुछ घटिया किस्म की होती है। इस में जो अंधेरगर्दी है, उस को अगर मैं आप को सुनाऊं तो आप को ताज्जुब होगा। अच्छी चीनी एफ० सी० आई० खरीदता है और वह सरकारी दुकानों के जरिए जनता तक पहुंचती है। जो फ्री सेल की घटिया किस्म की चीनी होती है, उस में होता यह है कि एफ० सी० आई० के कर्मचारी उनसे मिले होते हैं और जो फ्री सेल की चीनी होती है, वह वहां पर आ जाती है और अच्छी चीनी दलालों के पास चली जाती है। इस चीज को भी रोका जाना चाहिए।

एक और बात मैं गोदामों के बारे में कहना चाहता हूं। एफ० सी० आई० गोदाम बनवाती है और प्राइवेट सेक्टर में इन को बनवाने के लिए फाइनेन्स कराती है। आप को जान कर ताज्जुब होगा कि एफ० सी० आई० के अपने गोदाम तो खाली पड़े हुए हैं और वे गोदाम जिन को एफ० आई० सी० ने फाइनेन्स कर के प्राइवेट सेक्टर में बनवाया, वे भरे रहते हैं और उन गोदामों को भरने के लिए उन से ये लोग कमीशन लेते हैं। आप इस की जांच करवाइए कि एफ० सी० आई० के गोदाम खाली क्यों पड़े हैं।

एक आखरी बात यह निवेदन कर दूं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव कुछ और है और महाराष्ट्र में कुछ और है और राजस्थान में अलग भाव है और पंजाब में दूसरा भाव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो रोक लगी हुई है गेहूं के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, इस को हटाया जाए और उत्तर प्रदेश का गेहूं महाराष्ट्र में जाए, पंजाब का गेहूं महाराष्ट्र में जाए और बंगाल में जाए। इस से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी और यह जो एक जगह एक कीमत है और दूसरी जगह दूसरी कीमत है, यह जो कीमतों में असमानता है, फ़र्क है, यह समाप्त होगा।

मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि इस वक्त करोड़ों रुपये के गेहूं का नुकसान होने का जो खतरा है, जो गेहूं आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, इस देश की हालत को देखते हुए कि कहीं हमें फिर से विदेशों से गल्ला न मंगाना पड़े, माननीय मंत्री महोदय एफ० सी० आई० को यह हिदायत दें कि वह सेण्ट्रल पूल के लिए गेहूं खरीदे। इस से जहां धन की बचत होगी, वहां किसानों को भी राहत मिलेगी जिन्होंने इतनी मेहनत कर के यह गेहूं पैदा किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Krishna Sahi may speak.

There should be one day when Mr. Vyas did not speak. I want to put it on record.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): यह तो बड़ा अन्याय होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Today I have decided.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्य नियम (संशोधन) विधेयक, 1982 मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं इस का समर्थन करती हूं।

इस विधेयक की सीमा बहुत सीमित है और यह जो विधेयक है, यह एफ० सी० आई० में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन के बारे में कुछ विशेष उपबन्ध करता है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी खाद्य निगम में हैं, उनकी सेवा तो हो जएगी, इस में कोई दो मत नहीं हैं लेकिन प्रश्न अब यह उठता है कि भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी संस्था है, वह किस की सेवा कर रहा है और कितनो हद तक सेवा कर रहा है और किस के लिए सेवा कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम की स्थापना जब हुई थी तो इसके पीछे यह उद्देश्य था कि किसानों को इस से सुविधा मिले गरीब आम जनता को, उपभोक्ताओं को इस से राहत मिले। कांट्रेक्टर्स, गल्ले का ब्यापार करने वाले आढ़तियों से, जा किसानों के साथ ब्लैकलिंग करते थे, उनके साथ अत्याचार करते, उनसे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अभी की परिस्थिति में ऐसा लगता है कि खाद्य निगम एक सफेद हाथी है। वह किसानों के लिए नहीं है, बल्कि वह किसानों को खा रहा है।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं और मैंने मंत्री महोदय का कई बार ध्यान भी आकर्षित किया था कि आपके खाद्य निगम के पदाधिकारी जब भी जिला स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति को बैठक होती है तो उसमें भाग लेने के लिए शामिल नहीं होते हैं। वे यह कहते हैं कि यह स्थानीय और राज्य सरकारों से सम्बन्धित है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती किसानों के लिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि वे इसको देखें।

मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि खाद्य निगम का परिचालन खर्च बढ़ गया है। इसलिए केन्द्र सरकार ने इसको दी जाने वाली सब्सीडी की राशि में बढ़ौतरी कर दी है। 1981-82 में केन्द्र ने इसे 6 अरब रुपये, 1980-81 में 6 अरब 50 करोड़ और 1979-80 में सात अरब रुपये को राशि दी है। इन निगम को दी जाने वाली सब्सीडी में दिनों दिन बढ़ौतरी की जा रही है लेकिन निगम को कार्यक्षमता में घटोतरी हो रही है।

आप जब किसी को सुविधा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदत्त करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके कर्मचारी, अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। फिर भी उन के लिए सुविधा की बात होती है जो कि सर्वथा अनुचित जान पड़ती है।

आये दिन हम देखते हैं कि खाद्य निगम के गोदामों में आग लगती है। स्टेशनों पर रखा हुआ अनाज सड़ जाता है जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। इसमें खाद्य निगम को गलती है या स्टेशन के कर्मचारियों को गलती है, इससे किसानों को कोई लेना देना नहीं है। वह तो यह चाहता है कि जब सूखा पड़ रहा हो, बाढ़ आयी हो, तब ऐसे समय में खाद्य निगम की कार्य पद्धति में सक्रियाता और सहयोग हो।

सब से बड़ी बात तो यह है कि अक्सर यह सुनने को मिलता है कि अमुक खाद्य निगम गादाम में कम तौला गया, बहुत-सी अनियमितताएं पाई गयी। यह सब

[श्रीमती कृष्णा साही]

किस के कारण हो रहा है ? दिल्ली के शक्तिनगर खाद्य निगम के गोदाम में भयंकर अनियमितता बरती गई थी। कई सौ क्विन्टल अनाज कम तौल कर काला बाजार में बेचा गया। इस तरह की कई कम्प्लेंट्स आई हैं और आती रहती हैं। इनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि खाद्य निगम की कार्यक्षमता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

आये दिन हमारे खाद्य निगम के अध्यक्ष बयान दे देते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा और अखबारों में भी यह निकला कि भारतीय खाद्य निगम ने दो हजार गोदामों के अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने के समय जो अनाज की बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए एक उड़न दस्ता स्थापित किया गया है ताकि यह अनाज एक जगह से दूसरी जगह बिना बर्बादी के पहुंचाया जा सके। इसके लिए आपने उड़न दस्ता कायम किया है। लेकिन वहां जो भ्रष्टाचार है उसको भी रोकना चाहिए। कर्मचारी जो अनियमितताएं बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए लेकिन यह देखा गया है कि किसी भी बड़े अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निगम के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य में यह बताया भी था कि इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए पदाधिकारियों को व्यापक अधिकार दिये जायेंगे। अगर सचमुच में विजिलेंस रखते हुए अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वे बहुत कुछ उत्तरदायित्व का वहन कर सकते हैं और सतर्क भी रहेंगे। उनको आदेश दिया जाए कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यन्वयन में उनकी बड़ी जरूरत है क्योंकि अनाज के साथ साथ चीनी और उर्वरक के वितरण की व्यवस्था भी उन्हें सौंप दी गई है। अगर इसमें एक सिस्टम, एक पद्धति, कड़ाई नहीं रहेगी तो आम जनता को इस से लाभ नहीं होगा। इस वास्ते इस मामले में बड़ी बदनामी से बचने के लिए खाद्य निगम के अधिकारियों को अपने को दुरुस्त करना होगा।

इस बिल को जब हम पास कर रहे हैं तो इसके पास होने से कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ेंगी वहां इस के साथ साथ उन्हें शक्ति भी प्रदत्त होगी। वे अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ इन सुविधाओं और शक्ति का उपयोग करें और नियंत्रण में रह कर वे किसानों और आम जनता की सेवा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री रतन लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत जो उसकी धारा 12, 44, 45 में संशोधन किया जा रहा है, उसका विरोध करता हूं, क्योंकि यह आप संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार लाए हैं और यह संविधान संशोधन उस समय किया गया था जबकि इमरजेंसी थी और केवल एक दल का राज्य था। इसलिए अच्छी तरह से विचार करके संशोधन नहीं किया गया था। (**व्यवधान**)।

15.56 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

माननीय सदस्य श्री डागा जी ने कहा कि जनता सरकार के समय आपने उस संशोधन को मान लिया और कुछ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस समय कुछ इस तरह की परिस्थिति थी, जिसमें देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ करना संभव नहीं था और सबकी राय से उसको माना गया। इसलिए

ऐसी बात नहीं है कि जनता सरकार ने कोई अंधानुकरण किया है ।

यह संशोधन मजदूर विरोधी है । छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है और बड़े अधिकारियों को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की जा रही है । बड़े अधिकारियों को कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, ताकि छोटे कर्मचारियों को पद-च्युत किया जा सके । सुनवाई भी जो पहले दो बार हो सकती थी, उसको घटाकर एक बार कर दिया है । इससे हजारों लोग प्रभावित होंगे ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे बताएं कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से बिना संशोधन किए निगम का काम नहीं चल रहा है । उन कर्मचारियों की संख्या बताएं जिनके अपराधों के ऊपर संशोधन के बिना कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ? वास्तविकता तो यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है ।

जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटस हैं, वे अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं । उन्हीं के लिये सारे प्रावधान किये जा रहे हैं । अभी हाल ही में खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के कई उदाहरण सामने आये हैं । कई माननीय सदस्यों ने इन पर प्रकाश डाला है । कहीं अनाज सड़ रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं प्राइवेट लोगों से भंडार लिये जा रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी दो-दो हजार रुपया माहवारी उन मठाधीषों के अनुचित रूप से ले रहे हैं । मैं बिहार के छोटा नागपुर से आता हूं । वहां पर मैं 4–6 ऐसे गोदामों को जानता हूं जो सरकारी गोदाम खाली होने के बावजूद किराये पर लिये गये हैं । इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है । इसी प्रकार से पंजाब में अभी पता चला है कि 60 हजार टन धान खाद्य निगम का गोदाम में सड़ रहा है और जालन्धर के मिल मालिकों ने सड़े हुये धान से चावल निकालने के लिये मना कर दिया है और कहा है कि इससे चावल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन राजस्थान के कुछ मिल मालिकों ने, जैसा कि मैंने पढ़ा है, कहा है कि मजदूरी पर दें तो चावल बनाया जा सकता है, लेकिन ये अधिकारी चाहते हैं कि वह सड़ जाए, उसके बाद अच्छा चावल निकाल कर के भ्रष्टाचार किया जाय ।

16.00 hrs.

अभी लोग—चारों तरफ़ भूख से मर रहे हैं, भंयकर अकाल की स्थिति कई भागों में पैदा हो गई, दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो रही है । लेकिन इसके बावजूद गेहूं को जलाया जा रहा है, इसको बरबाद किया जा रहा है । बिहार को गेहूं तो ओपन वैगंज में भेजा जाता है लेकिन जो कोयला है और जो ओपन वैगंज में भेजा जा सकता है और जिस के गीला होने से कोई नुक्सान नहीं हो सकता है, उसको बन्द डिब्बों में भेजा जाता है । रांची में हजारों टन गेहूं सड़ गया है बड़े अधिकारियों की लापर-वाही की वजह से । मैंने सदन में प्रश्न उठाया था इसके बारे में लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है । अलीगढ़ में सूता मिल वाले जो एफ सी० आई० के गोदाम हैं वहां से हजारों टन गेहूं चोरी करते हुये कई अफसर—पकड़े गये हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाई नहीं हुई है । गया में दस करोड़ का गेहूं जला दिया गया है क्योंकि गेहूं चोरी करके उन लोगों ने बाजार में बेचा था और उसको छिपाने के लिये यह गेहूं जला दिया गया है । यह पचानपुर की बात है । किन किन अधिकारियों को सजा हुई है क्या आप यह बतायेंगे ? आप

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

बड़े अधिकारियों को और भी अधिक पावर्ज नियम बनाने को दे रहे हैं लेकिन किन कारणों से इस तरह की घटनायें होती हैं क्या आप यह बतायेंगे? छोटे कर्मचारियों की वजह से नहीं बल्कि बड़े कर्मचारियों की वजह से इस तरह की बातें होती हैं।

एफ० सी० आई० में भयंकर भ्रष्टाचार है। इस उपक्रम में अरबों रुपया आपका लगा हुआ है। बड़े अफसरों का ही ज्यादातर भ्रष्टाचार में हाथ होता है। उनकी वजह से ही गेहूं सड़ता भी है। गेहूं को ठीक तरह से रखा नहीं जाता है। इसमें बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी हैं। नीचे का गेहूं गोदामों में कई बरस तक पड़ा रह जाता है और ऊपर का निकालते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जो नीचे का गेहूं होता है वह सड़ जाता है। इसको बचाने के आपको उपाय करने चाहियें। नीचे का गेहूं पहले निकाला जाय इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये। गेहूं के सड़ने की खबरें बराबर छपती रहती है जिस में करोड़ों का घाटा होता है। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं भूखों मर रहे हैं लेकिन यहां गेंहूं सड़ रहा है। छोटा नागपुर में दो साल से लगातार अकाल है। इस बार भी भदई की फसल बिल्कुल समाप्त हो गई है। खरीफ की फसल दस प्रतिशत भी होने की संभावना नहीं है। हम बिहार सरकार से कहते हैं तो कह दिया जाता है हमारा कोटा बन्द कर दिया गया है। इस कारण हम कुछ नहीं दे सकते हैं, आप लोग यहां हल्ला करें। अखबारों में लगातार यह छप रहा है कि आदिवासी पत्तियां खा कर जी रहे हैं, पेट भर रहें हैं, मालूम नहीं यहां मंत्री जी को पता है या नहीं एन आर पी तथा दूसरे जितने कार्यक्रम हैं इनको जमीन पर नहीं चलाया जा रहा है। सभी काम सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ दिये गये हैं। गांव का मुखिया या जन प्रतिनिधि उसको देखें इसकी जरूरत ही नहीं समझी जाती है। केवल भ्रष्टाचार का ही व्यापार चल रहा है। इस दिशा में सचेष्ट होने की जरूरत है। बिहार सरकार से कहते हैं तो जवाब मिल जाता है कि केन्द्र से बात करो। केन्द्र से कहते हैं तो कह दिया जाता है कि हम ने काफी एलाटमेंट किया है। इस तरह से एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंका फेंकी करने से काम नहीं चल सकता है। इसका नतीजा यह होने वाला है कि छोटा नागपुर की आधी से ज्यादा जन संख्या भूख से मर जायेगी। उसकी रक्षा करने की आप व्यवस्था करें।

कानून में छोटा सा परिवर्तन करके अगर आप समझते हैं कि ए० सी० आई० की जो प्रशासन व्यवस्था है यह सुधर जाएगी तो यह आपकी भूल है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी ऐसा मालूम नहीं देता है। छोटे कर्मचारियों का जो थोड़ा सा विचार किया गया है उतना ही उपादेय नहीं है। हजारों की संख्या में केज्युअल लेबर एफ० सी० आई० में पड़ी हुई हैं जो दस दस बरस से काम कर रही है और जिस को अभी तक रेग्युलराइज नहीं किया गया है। बड़े अधिकारी अपने अपने लोगों को, मजदूरों को मस्टर रोल्ज पर रख लेते हैं, पुराने लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और उनको निकाल बाहर कर देते हैं। हजारों का वे अनुचित लाभ उठाते हैं। इस तरह की बातें सभी जगह चल रहीं हैं। इस दिशा में भी सरकार को एक स्पष्ट आदेश का प्रावधान करना चाहिये था कि इसमें भी अगर कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा तो गेहूं सड़ेगा और उसको इधर से उधर निकालने में भी अन्यमस्कता आयेगी इस प्रकार से गोदामों में भयंकर गड़बड़ियां होती हैं। इसलिये इसमें व्यापक संशोधन लाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में यह कहा जाय कि यह मच्छर पर पिस्तौल चलाने जैसा बिल है और इससे अपराधियों को कोई सजा नहीं मिलने वाली है तो ठीक है। इससे ज्याद रिलीफ नहीं मिलने वाला है, इस लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक यहां लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं ऐसा समझता हूं कि 42वां अमेंडमेंट एक्ट उस वक्त के हालात के मुताबिक, जब देश में अनाज की पैदावार हो रही थी, और देश में गड़बड़ पैदा करने के मनसूबे किये जा रहे थे, उस वक्त लाया गया था। आज कर्मचारियों को अनुशासन में लाने के लिये जो अमेंडमेंट आई है, इस पर हमारे विपक्ष के लोगों को एतराज नहीं करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि यह निगम किसानों के लिये बनाया गया है ताकि किसानों से उनका माल खरीदे और जरूरतमन्दों को अनाज का वितरण करे, लेकिन हो क्या रहा है, वह मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश और जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां का कोई कर्मचारी उस निगम में नहीं है। आज इसमें दुकानदारों के लड़के लगे हुये हैं, जिनका काम करने का तरीका यह है कि वह ट्रकों पर कमीशन लेते हैं और जो माल सप्लाई करता है प्रदेशों में, जैसे श्रीमती कृष्णा साही और डागा साहब ने कहा आज यह निगम घाटे में चल रहा है कारपोरेशनकी जितनी धान की मिलें हैं सब घाटे में चल रहीं हैं। हमारे कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं और वह किसानों की प्राबलम को समझ सकते हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां का जितना सेब यहां आजादपुर में जाता है, उसे सारे आढ़ती अपनी मर्जी से बेचते हैं, उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। जब तक आप बिचौलियों को खत्म नहीं करते हैं, तब तक हमारे देश में यह निगम उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमें किसानों को उठाना है, उन्हें बेहतर बनाना है तो उनका रिप्रैजन्टेशन उसमें होना चाहिये। ऐसा बोर्ड बनाना चाहिये जिसमें किसान लोग अपनी राय दे सकें और उनकी बात सुन कर निगम में काम चले तब ही काम ठीक हो सकता है। मेरे देखने में ऐसा आया है कि जितने कारपोरेशन हैं, उसमें सब कोई डायरेक्टर हैं, हमारे यहां पर भी फोरेस्ट कारपोरेशन हैं, स्टेटस में जितने कारपोरेशन हैं, उनके कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं आप कर्मचारियों को यहां पर 2 बात समायत करने का अख्त्यार दे रहे हैं, यह अच्छी बात है, उनको हक होना चाहिये कि अपनी बात कहें लेकिन जो कर्मचारी वाकई में सेवा नहीं करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, उनको बर्दाशत नहीं करना चाहिये।

हमारे यहां सी० पी० एम० के जो लोग हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि बंगाल और त्रिपुरा में अनाज का बड़ा घाटा पड़ गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब फूड फार वर्क में आपको अनाज मिला, उसका यूटिलाइजेशन भी आपकी सरकार ने वहां पर नहीं किया। आप जैसा चाहें, वैसा कर लेते हैं। अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिये आपकी सरकार काम करती है। ऐसा हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है, जैसा इन राज्यों में होता है। जब यहां पर चर्चा होती है, तो आप सारे के सारे यहां पर एक मत होकर वोट करना शुरू कर देते हैं।

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

अभी हमारे सी० पी० एम० के भाई ने कहा कि पिछली जो सरकार थी, उस का भी कसूर है। जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई और 1980 में चली गई, लेकिन उसने भी कोई अमेंडमेंट नहीं की। हमारे एक भाई ने कहा कि उनको समय नहीं मिला। एक अमेंडमेंट तो उन्होंने कर ली; उन्होंने अपने जो संसद सदस्य थे, उनकी मियाद घटाने का संशोधन तो कर लिया लेकिन जो ब्लैक मार्केटियर्स थे, उनका नहीं करने दिया। यह सारा कसूर किस का है ?

हम कहते हैं कि हमने तो संशोधन कर दिया। अब प्रापर टाइम पर हमारे मंत्री जी हाउस में यह लाये हैं कि इसमें यह संशोधन कर दिया जाय। जहां यह संशोधन होगा, वहां अगर हमें देश को आगे ले जाना है, तो निगम के कर्मचारियों को निगम की ऐसी रूपरेखा तैयार करनी होगी, कि सारे देश में अनाज का वितरण ठीक ढंग से हो जाये। किसानों का माल ठीक ढंग से लेना चाहिये, ताकि उन्हें किसी प्रकार का घाटा न हो। गढ़वाल, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर वगैरह पहाड़ी इलाकों में वहां के मुलाजिम नहीं होते हैं। नीचे के लोग वहां जाते हैं, जो काम में दिलचस्पी नहीं लेते। हमारे यहां कारपोरेशन के कर्मचारी परवानू से कर शिमला तक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। उन्हें फ़ील्ड का पता हीं नही चलता है। अगर निगम के काम को सुजारू रूप से चलाना है, तो वहां के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाय, ताकि हमें फ़ायदा हो सके।

इस सिलसिले में मेरिट की बात कही जाती है, कहा जाता है कि ये लोग गांव के पढ़े हुए हैं। हमारे यहां पहाड़ों में स्कूल कालेजों की संख्या बहुत कम है। इसलिए वहां के लोग काम्पीटीशन में रह जाते हैं। वहां पर सिलेक्शन वहां के हालात के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि निगम का काम अच्छी तरह से चले और लोगों का अनाज नियमित रूप से मिल सके।

भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विरोधी दलों मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। वे सब इन्दिरा जी का विरोध करते हैं, लेकिन वे आपस में बंटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ़ बात करने में वे युनाइटिड हो जाते हैं। वे मुल्क को दिखाना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष एक है। लेकिन वह एक नहीं है, उसकी कई बोलियां हैं और लोग इस बात को जानते हैं। सी० पी० एम० के सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसका खंडन करता हूं। वहां की सरकार ने सिर्फ़ अपने कामरेडों में अनाज का वितरण किया है और बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया है। ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि जिन राज्य सरकारों ने अनाज का मिसयूज़ किया है उनकी जांच-पड़ताल हो सके।

हमने राव साहब को पत्र लिखे हैं कि निगम के कुछ कर्मचारियों ने क्या किया है। परवानू में फ़ूड कार्पोरेशन का एक गोदाम है। वहां पर एक बोरी अनाज के लिए पांच दस रूपये का कमीशन लिया जाता है। सारे हिमाचल प्रदेश में अनाज का वितरण वहां से होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और जो आदमी बेईमान है, उसे करप्शन के अपराध में सज़ा देनी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि निगम के कर्मचारियों को ज़िले के डिपुटी कमिश्नर के अंडर होना चाहिए। ऐसा करने से काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

RAO BIRENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the hon. Members who have appreciated the need for my bringing this Amendment Bill before this House. I am also very grateful for their suport to this Bill. But at the same time I fail to understand the opposition to this very simple measure by some of my friends. Mr. Satyasadhan Chakraborty, as usual, has critcised the Government and alleged discrimination against West Bengal in the matter of supply of fodgrains. The mater has been discussed many times in the House and I have always proved that theirallegations are absolutely unfounded and baseless.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): They have been specially favoured.

RAO BIRENDRA SINGH: I strongly refute his allegations even now. West Bengal has been receiveing the highest allocation of foodgrains of any State in the country. They have enough stock and supply of foodgrains are steady and they are being maintained. Every time the Minister from West Bengal or hon. Members have discussed the matter with me, I have always felt that they have gone back satisfied. But when I hear them in the House, it is always the same story....

PROF. N. G. RANGA: They are very good merchants.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Wagons do not move.

PROF. N. G. RANGA: Very good merchants you are.

RAO BIRENDRA SINGH: Wagons move but you do not move You have taken up a line and you want to run along it—only for the consumption of the people in West Bangal.

I cannot understand how on the one side Mr. Chakraborty and some other friends have cricised FCI for inefficiency and corruption. An organisation runs on its workers. Its performance depends upon the integrity, honesty and efficiency of the workers and the discipline that we can maintain amongst them. When we want to enforce a better discipline amongst, the workers, we are being opposed. This is nothing new. The provision for giving a second opportunity to some of the employees of the FCI was only for those who were transferred from the Food Department of the Government India. There are a total of 72,000 — nearly 72,500 employees in the FCI. Out of them about 15,500 are these transferees. The rest of the employees out of those 72,000 odd employees are 57,000 employees. These employees were not getting this second opportunity under the FCI Act. This was only a preferential treatment to the Government employees because it has to be provided under the Constitution then prevailing. Now the Constitution no longer requires that this second opportunity for Government servants is essential. We want to bring both these types of employees on par and they wil all get equal opportunity. You know how the cases of discipline drag on for long periods. Inquiry first, then charge-sheet, then after inquiry another show-cause notice is given, another opportunity is given asd on one pretext or the other the employees can delay the decision of the case. It is absolutely necessary that diciplinary cases are decided at the earliest—as early as possible. They are not allowed to take any advantage of some provision in the Act or the rules which gives them the benefit of escaping punishment for an indefinite period. That is why I have brought this Bill before the House.

Mr. Chakraborty has raised certain other points—substandard foodgrains being supplied to West Bengal and Tripura.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: All the States.

RAO BIRENDRA SINGH: You mentioned only Tripura and West Bengal. You are not concerned with the rest of them.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Orissa also.

RAO BIRENDRA SINGH: You have sympathy for Orissa also.

MR. CHAIRMAN: His eyes are on Orissa now.

RAO BIRENDRA SINGH: Probably, eastern U.P. and Bihar should be careful.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: They are fortunate.

RAO BIRENDRA SINGH: It is absolutely wrong to say that sub-standard rice is being forced upon the people of these States.

We have laid down rules. Mr. Chitta Basu, you had discussed this so many times. I do not know what happens to you when you come to the House. I think when you get an opportunity outside, you are most reasonable.

Wherever any substandard foodgrain is being issued from the FCI godowns, the State Government can always ask for a joint inspection by the Officers of the State Government and the F.C.I. If it is substandard, it will not be issued. I would like to hear the complaints from the hon. Members wherever the FCI does not conform to this rule that we have laid down. It is not happening. Somehow, some hon. Members from the Opposition Benches always want to make use of an opportunity to criticise the Government through the FCI.

Another hon. Member has raised certain points which in fact, to my mind, are not very relevant at this time when we are only discussing a small amendment to the Bill with regard to service conditions in respect of one section of the employees. Some hon. Member said—I think it was by Mr. Sivaprakasam who is not here—that the FCI has not purchased rice from Andhra Pradesh. Procurement this year is an all-time record. Rice and wheat put together during this year has already reached the figure of 14.7 million tonnes. It has exceeded and it is the highest ever achieved. Rice also has been procured to the maximum. In Andhra Pradesh, the problem is about the free-sale rice which is being collected by the Mills and some stockists. There is a levy on the mills. The levy portion is collected by the FCI. The rice is all meant for free sale. If there is a stock limit imposed, then, the millers and the stockists would not be able to keep huge quantities of rice but, since no stock limit has been imposed in Andhra Pradesh, this rice is being stocked.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) बिहार में कितना है प्रोक्योरमैन्ट ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिहार में प्रोक्योरमैन्ट कभी हुआ हो तो बताऊं ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आपने अभी कहा है आल टाइम रिकार्ड प्रोक्योरमैन्ट हुआ हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हरियाणा और पंजाब का ज़िक्र करदूं, अगर आप चाहें तो । बिहार मेरे बस की बात नहीं है ।

Sir, it is in the hope that the stockists and millers would be able to export this rice and make huge profits, they have been collecting this. There is a lobby working already. The price of rice in Andhra Pradesh which is a rice producing State is rising whereas huge stocks of rice are lying with the stockists, millers and others. I am still trying to persuade the Andhra Pradesh Government to impose a ceiling on stock-limit so that all this comes out and it can be a free flow to other States. We can think of that and prices can also be brought down.

PROF. N. G. RANGA: They want to export free rice.

RAO BIRENDRA SINGH: They are wanting to export. There is a lobby trying to pressurise by inspiring news

through the press that huge stocks are lying and they are not being allowed to be sold. All this rice is meant to find its way to the market so that the consumers get some relief from the bumper crops. We have not allowed anybody to export fine and super-fine qualities of rice except the FCI. It is canalised through FCI. It is Government to Government accounting.

One hon. Member also raised a question about supply of foodgrains to neighbouring island countries. This is not the job of FCI to supply foodgrains to those countries. If they want to purchase something from India they are welcome. We want to help our neighbouring countries. But it is a question of settlement of price. We cannot give cheaper than our cost. If they find cheaper somewhere definitely they will not purchase from us.

PROF. N. G. RANGA: Is the FCI prepared to purchase the accumulated stock of rice?

RAO BIRENDRA SINGH: FCI has purchased some and if FCI falls short of its export commitment then they will make further purchases but we want that if there is any surplus stock of rice it should come in the market so that people may get benefited.

Another hon. Member mentioned about the wheat lying in open in U.P. and other places. So far as I know most of the purchase of wheat is done by State Governments and not by FCI. To benefit the farmers this time we had allowed relaxation for purchase of wheat. We allowed even upto 20 per cent slightly damaged wheat to be purchased but some State agencies in collusion with the traders have purchased very badly damaged wheat and FCI has to think twice before taking over this stock because we will not be able to distribute it.

PROF. N. G. RANGA: What State!

RAO BIRENDRA SINGH: Some hon. Member talked about U.P. We want to take over all wheat that has been purchased by the States within the specifications that we had laid down but if it is unfit for consumption FCI cannot take the blame for it. State Governments will have to accept responsibility.

Sir, a fear has been expressed that lowest paid employees will be punished and the officers will go scot free and that there are different rules regulating disciplinary cases against officers and other regulations about the rest of the staff. We are aware of the need to take disciplinary action against the higher rung of officers because if they are properly dealt with and if they do their job properly they will also accept responsibility for maintaining discipline and efficiency amongst their subordinates. At least this is my policy. Wherever I find that the subordinate employees have erred the people above them must always be held responsible because it is not the Government responsibility to go down to the lowest level of employees for the purposes of maintaining discipline and efficiency and honesty. We have to first see that our officers are honest.

Mr. Daga mentioned about certain Reports that had not been placed before Parliament and the Committee on Public Undertakings have reported on it. This was the period before this Government came to power. That relates to 1978-79 and 1979-80. After receipt of this report of the Committee on Public Undertakings for the year 1981-82 we had taken action. I had been reported to Parliament on 29-3-82 regarding the action which has been taken by Government.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: What about the North Eastern region?

RAO BIRENDRA SINGH: It is being looked after very well, you should rest assured. Even in the year 1979-80 (during the worst drought year) we did not allow anybody to starve. Food supplies were rushed, even if we had to drop food from the air.

[Rao Birendra Singh]

Now we are trying to build up sufficient stocks of foodgrains in these North Eastern States. But we know the difficulties of transport particularly during the monsoon. There, we have certain problems. There are certain bottlenecks on account of Railways; there are difficulties in moving food supplies to these parts. Supplies have to be taken there through the metre gauge. But I must admit that we have not been successful to the extent that we wanted to build up stocks there. Of course, the Railways have done their best; they have been moving whole ranks of food supplies to these North Eastern regions during the past few months. Some hon. Members met me including Prof. Satyasadhan Chakraborty some days back; he was convinced that supplies had improved and Railways were doing very good work. But now I don't know why he is keeping quiet about all this. The Food Corporation of India does not earn any Profit. The Food Corporation of India in fact distributes food involving very heavy subsidy which is met by the Government of India. On every quintal at present we pay subsidy of Rs. 40/- for the Consumer. The Food Corporation of India, in that sense, is not a commercial organisation; it only procures foodgrains and distributes them according to the policy laid down by the Government of India. Even the price paid to the farmers is done under the orders of the Government and they have no say in this matter. Therefore, I think it would be wrong to blame the FCI for paying less price to the farmers.

I think Mr. Shailani expressed his concern at the carrying cost of the FCI. FCI maintains large stocks over the years. There is interest and godown charges and handling charges. There is of course loss in godown, loss in transit. But I must say that the loss in transit and loss in godown is being kept to the minimum. We are trying to see that the loss in foodgrains in the godowns is of the order of about one percent. At present it is one-and-a-half per cent. The same is the case of percentage of loss in transit and there also we are trying to reduce it to one per cent. as the maximum. That I think will be a fairly satisfactory position if the FCI could do it.

Mr. Sultanpuri talked about employment of Hill People. The Food Corporation of India has certain regulations. They have got a system of recruitment of people. (*Interruptions*) The Hill People are very honest people. They are very hard-working; I have every sympathy for Mr. Sultanpuri and his area. We shall certainly see what we can do in this matter. But we cannot lay down any percentage State-wise or Tribe-wise or Caste-wise in this matter. They shall also get their full share in employment through the Employment Exchanges. I have issued orders that the Local Employment Exchanges must be asked to forward names. Recruitment is not to be done at regional or zonal level where some people who are clever-enough might get themselves registered. The people in the interior areas, in the districts and small towns do not come to know what is the requirement of F.C.I. for employment. We are trying to see that all people get a fair share in employment under the F.C.I. I think these are all points I could mention. I cannot cover every point that the hon. Members have mentioned. But I hope that they are satisfied and I commend this Bill to the House.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: The Public Undertakings Committee have mentioned about the procurement of foodgrains. They have pointed out that the F.C.I. procures only 12 per cent of wheat, coarse grains and rice meaning there by that a large percentage of foodgrains get out of F.C.I. If that is so, how are you going to control the procurement system? If you procure only 12 per cent. of the total foodgrains, it means that middlemen are operating and you cannot control them. So, what are you thinking about the increase in the percentage of procurement of foodgrains?

RAO BIRENDRA SINGH: We undertake to purchase all the surplus foodgrains that come to the market—wheat, rice and paddy. But we do not work under a policy of nationalisation of foodgrain trade. We do not want to purchase everything.. We do not want to keep the private trade out. At the same time, we cannot and do not want to force the farmer to sell only to the Government agencies. We want to give remunerative prices to the farmer to see that he does not suffer any losses in production and when he freely sells the foodgrains to the Government agencies, that is all acceptable to us and with that we build up our stocks. The farmer has also the right to sell the foodgrains at higher prices if he wants to do so. That is why the whole country is kept as one zone and the movement of foodgrains is allowed. It is not physically possible for the F.C.I. or for that matter any Government agency to purchase the entire quantity of 132 million tonnes or 134 million tonnes of foodgrains that are produced in the entire country and then undertake the responsibility of supplying the same to every citizen of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Food Corporation Act, 1964, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

RAO BIRENDRA SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

PROF. N. G. RANGA: Mr. Chairman, I have a submission to make. I generally agree with my hon. friends in regard to this Bill and also the activities of the F.C.I. But I am surprised that quite a number of my hon. friends and colleagues go on saying that they are in favour of the Bill and at the same time, all the time they are criticising it. I do not know the logic of it. Apart from this, I would like to make one suggestion to my hon. friend, the Food Minister. The loss in the stock and in storing the foodgrains can be brought down from 1.5 per cent to 1 per cent. But then the difference between 1.5 per cent and 1 per cent is about 33 1/3 per cent of the total or So, it is a big margin when looked at in terms of the total quantity. That is what is very much upsetting the people as such.

Secondly, in many places there are not enough of godowns for storage. I would like the Planning Commission to place at the disposal of the F.C.I. and the Food Ministry sufficient funds and in sufficient time also so that the storage capacity can be increased and it would not be necessary for the CFI to keep foodgrains, specially paddy as also wheat, exposed to the inclemencies of weather. In many places, the foodgrains are stored in the open; they are exposed to the heat as also the rains, and so much damage is taking place. Ordinary folk do not know how much is being lost, but they see the wastage of it, and they are very much hurt. They think that the rest of the foodgrains must be getting damaged in the same manner. Therefore, it creates a bad impression. I would like the

[Prof. N. G. Ranga]

Minister to approach the Planning Commission and the Finance Ministry and whatever authorities might be interested in it for providing the necessary funds and see to it that at the earlist possible opportunity and to the largest extent possible, the storage capacity that is needed by the FCI comes to be constructed and the money needed for it comes to be allotted.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि ये वेस्ट बंगाल के लोग पैदा तो कुछ नहीं करते और खाने के सिवाय कोई काम नहीं है। जब से वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, वहां का उत्पादन 5 मिलियन टन से घटकर 2.3 मिलियन टन रह गया है। जितनी पैदावार वहां कम हुई है, उतनी कहीं कम नहीं हुई।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राजस्थान के बारे में बोलिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान में तो उत्पादन बढ़ा है, लेकिन बंगाल में घटा है। मंत्री महोदय जितना ज्यादा से ज्यादा इनको देते हैं, उतना ही ....।

श्री राव बिरेन्द्र सिंह : उतना ही ये काटने को आते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जी हां, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी मैं चुनाव के समय कलकत्ता गया था। वहां के खाद्य विभाग के लोगों को फूड कारपोरेशन में लिया गया था, उनको अभी तक आब्जर्व नहीं किया गया है। ये इंटक यूनियन के लोग हैं, जिनको अभी तक आब्जर्व नहीं किया गया है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Now the cat is out of the bag. All the employees unions belong to them and they are accusing us.... (*Interruptions*).

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारी शिकायत तो इनके खिलाफ भी है कि इनकी सरकार ने उन कर्मचारियों की देखभाल नहीं की। उनको अभी तक पे स्केल्स नहीं मिल रहे हैं। जब भारत सरकार ग्रेड नहीं दे रही है तो इनकी सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको संरक्षण दिया जाए।

RAO BIRENDRA SINGH: He can also plead the cause of employees, not only you.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का व्यवहार इनकी सरकार ने किया है, उस तरह का व्यवहार केन्द्र सरकार की ओर से न किया जाए और उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए।

एक मेरा निवेदन यह है कि जो कानून आप लाए हैं, मैं तो इससे भी सख्त कानून लाने की बात कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि यदि सरकारी कर्मचारी अपराध करता है तो ये तो कहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार फैलाने वाले को सेकेण्ड चांस दिया जाए, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहले ही चांस में गोली से मार दिया जाना चाहिए। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक करप्शन नहीं मिट सकता। सरकारी कर्मचारियों को जो आपने 311 की सहूलियत दे रखी है उसकी वजह से वे डरते नहीं हैं, इस धारा से उनको प्रोटेक्शन मिलती है, इसकी वजह से वे कितना ही कुरप्शन करें, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगी। सरकार को चाहिए कि इस

प्रोटेक्शन के बारे में वह कुछ करें। अगर देश से आपको भ्रष्टाचार को मिटाना है, अन्याय मिटाना है तो निश्चय ही आपको 311 के बारे में कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। तभी भ्रष्टाचार और बेईमानी मिट सकती है और न्यायपूर्ण व्यवस्था आप देश को दे सकते हैं। वर्ना सरकारी कर्मचारियों की जो लूट है वह जारी रहेगी। एफ० सी० आई० 500 करोड़ से ज्यादा का घाटा दिखाता है। किसान के फर्टिलाइजर, इरिगेशन, बिजली के दाम आप बढ़ा देते हैं। एफ० सी० आई० में 72000 कर्मचारी काम करते हैं। इनको आप दिन-ब दिन ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। देश के किसान को आप फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। किसान को आप रियायती दरों पर खाद, पानी, बिजली आदि दें ताकि वह ज्यादा पैदा करके आपको सही दामों पर और अधिक अनाज उपलब्ध करा सकें। ऐसा आपने किया तब तो फायदा होगा वर्ना हजारों करोड़ों रुपया इन सरकारी कर्मचारियों को आप देते जाएंगे तो हम तो बरबाद हो ही रहे हैं और और होते जाएंगे और वे और भी ज्यादा खुशहाल होते चले जाएंगे। जो देश के मालिक हैं वे तो एक टाइम भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है लेकिन ये लोग कारों में, हवाई जहाजों में घूमते हैं और सब प्रकार के ऐशो आराम में रहते हैं। इस व्यवस्था को आप ठीक करें ताकि गरीब किसान अपने पांव पर खड़ा हो सके और आर्थिक उन्नति देश की हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तीन बातें मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

भ्रष्टाचार की चर्चा सब जगह है, सर्वत्र है। कहां नहीं है, यह सवाल पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार खाद्य निगम के रोम रोम में समा गया है। जो लोग गल्ला एक गोदाम से दूसरे गोदाम या ट्रेन से गोदाम में ढो कर ले जाते हैं, ऐसे लोगों का हजारों रुपये का बकाया पड़ा हुआ है और आपके अधिकारी उसकी अदायगी नहीं कर रहे हैं। बिहार के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दो उदाहरण मैंने आपके पास भेजे हैं। इसको छः महीने से अधिक का समय हो गया है। फूड कारपोरेशन के चेयरमैन की चिट्ठी भी मेरे पास आई है कि इसकी जांच करवा रहे हैं लेकिन वह अभी तक चल ही रही है। वहां का रिजनल मैनेजर भी बदल गया है लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। जिन का पैसा फंसा हुआ है उनको अपना कारोबार करने में इस वजह से कठिनाई हो रही है।

गोदामों से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न लोग चोरी करके ले जाते हैं, इसकी आप रोकथाम नहीं कर पाते। कोशिश जरूर करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। इस में कारपोरेशन के ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जिन का बकाया सालों साल से पड़ा हुआ है, वह उनको दिलवाया जाना चाहिए ताकि वे आपकी सेवा और भी अधिक दिलचस्पी के साथ कर सकें।

राव बीरेन्द्र सिंह : कितना पड़ा हुआ है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पत्र भी लिखा है और कहें तो नाम भी बता दूं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : फार्मर्ज का ?

श्री रामावतार शास्त्री : उनका जो गोदामों में ट्रकों से गल्ला ले जाते हैं या पहुंचाते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : ठेकेदारों का ?

श्री रामावतार शास्त्री : ठेकेदार कहिए, मैं घबराता नहीं हूं, । उनको कोई उचित बात होगी तो कहनी ही होगी । ग्राम तौर से मैं ठेकेदारी प्रथा का समर्थक नहीं हूं । लेकिन ग्राप उनके समर्थक हैं । उनका पैसा ग्रगर बकाया है तो दीजिए या कानून बनाइये कि ठेकेदारों.... (इंटरप्शंज) दो ग्रादमियों की बात मैं कर रहा हूं, जान पहचान वाले हैं । ग्रामतौर से मैं ठेकेदारों की बात नहीं करता हूं । लेकिन एक बात मैं कह दूं कि छुईमुई मैं नहीं हूं कि ग्रापने ठेकेदार कह दिया तो मैं चुप हो गया । ग्रगर किसी ठेकेदार या विजनेसमैन के साथ कोई ग्रन्याय हो तो क्या यह कहा नहीं जा सकेगा ? मैंने इसी ग्रर्थ में कहा है, इसका दूसरा ग्रर्थ मत लगाइये ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह कम्युनिस्ट की जबान से बात ग्रा रही है ।

श्री रामावतार शास्त्री : कम्युनिस्ट की जवान से ही बात हो रही है, ग्रापको तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए । ग्राप मजदूर नेता होकर जब मजदूरों के खिलाफ बोल गये ? कैसे मजदूर नेता हैं ग्राप, यह ग्राप जानिये ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : बाहर जा कर दूसरी बात कहते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : कर्मचारियों के सवाल के बारे में मैं यह कहता हूं कि ग्रखबारों में रोज निकलता है कि ग्राज वहां हड़ताल हो रही है, ग्राज वहां नोटिस दिया जा रहा है । उनकी कठिनाइयों की तरफ ग्रापका ध्यान जाना चाहिए। इनके कहने से मत मान लीजिये कि उनके कर्मचारी फोर्थ ग्रेड से लेकर सब खुशहाल हैं, उनकी तरफ ग्रापका ध्यान जाना चाहिए ।

ग्राप स्वयं कहते हैं कि ग्रापके गोदामों में गल्ले की कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें चिल्ला रही हैं कि गल्ला नहीं मिल रहा है । उनका कोटा भी ग्राप काट रहे हैं । मेरे ख्याल से हमारे बंगाल के साथी कामरेड चक्रवर्ती ने कहा था;

राव बीरेन्द्र सिंह : इनका तो बढ़ाया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : कि ग्राज ही या कल कामरेड ज्योति वसु, मुख्यमंत्री का ग्रखबार में निकला है । ग्राप जबाब भी उनको नहीं देते, यह भी लिखा था । तो उनकी जितनी ग्रावश्यकता है;

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : कामरेड पार्लियामेंटरी होता है ?

श्री रामावतार शास्त्री : कामरेड ग्रन-पार्लियामेंटरी हो तो कटवाईये, लेकिन वह है नहीं ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: "Comrade" is a friend.

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव): शास्त्री जी ग्राप ग्रपनी बात कहें ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि ग्रकाल की स्थिति 7, 8

राज्यों में है, बारिश समय पर नहीं हुई, अब थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है, तो "का वर्षा जब कृषि सुखानी" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। तमाम जगह खाद्यान्न की कमी है, सुखाड़ और अकाल है ऐसी स्थिति में आपको राज्यों को थोड़ा मुक्त हस्त से मदद करनी चाहिए।

बंगाल को खाद्यान्न की मांग है। आज अखबारों ने लिखा है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उनको 1 लाख 50 हजार टन माहवार की जरूरत है। आप दे क्या रहे हैं -- 50 हजार टन चावल के बदले 20 हजार टन चावल और 20 हजार टन गेहूं, कुल 40 हजार टन।

मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से निवेदन किया है कि उनको फौरन 1 लाख 50 हजार टन चावल हर माह चाहिए तभी वह सुखाड़ का मुकाबला कर सकते हैं और उनके सामने और कोई मुकाबले का रास्ता नहीं है, भले हो भाषण कर लें, अखबारों में बयान दे लें कि हम यह शुरू कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मान रहे हैं कि बिहार में बिल्कुल प्रोक्योर नहीं किया।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा निवेदन है कि सुखाड़ की स्थिति में पुरानी उन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए उनको सजा दीजिये, उनको बर्खास्त कर दीजिए। हम भी मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त कीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : अभी तो फसल हो कर चुकी है, अभी कैसे यह हो सकता है ?

श्री रामावतार शास्त्री : राव साहब, मैं कह रहा हूं कि उनको बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन जनता को मत सताइये, उसे भूखा मत मारिये, राशन की दुकानों पर गल्ला न रहे, ऐसी स्थिति न होने दीजिए। बिहार को 10 करोड़ जनता की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे राज्यों में गल्ला देना चाहिए। जितने अकाल और सुखाड़ पीड़ित राज्य हैं, उनकी जरूरत की तरफ विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा तब लोग समझेंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया है।

श्री एन० के० शेजवालकर : सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। यह रिकार्ड पर बड़ी गलत बात आ रही है। 311 के सम्बन्ध में जो हमारे माननीय सदस्य ने बात कही मैं केवल उसी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : (श्री चन्द्रजीत यादव) : वह आपके बारे में एसपर्शन नहीं किया है।

श्री एन० के० शेजवालकर : लेकिन हाउस में यह बात अन-प्रोटेस्टेड चली जाये कि अन्याय करने वाले हैं, उनको चांस भी अपनी बात कहने का न मिले, यह गलत बात है।

सभापति महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, माननीय प्रो० रंगा ने कहा है कि स्टोरेज का इंतजाम और ज्यादा होना चाहिये। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे पास गोडाउन का इंतजाम इतना होना चाहिये कि हमारा अनाज बाहर न रहने पाये। एफ० सी० आई० की स्टोरेज की कैपेसिटी

[राव बीरेन्द्र सिंह]

काफी है—अगर मुझे ठीक याद है, तो कुल कैंपेसिटी 270 लाख टन के करीब है। वर्ल्ड बैंक प्राजेक्ट के अधीन अगले चन्द सालों में उसे शायद और 3.5 मिलियन टन के करीब आगे बढ़ाना है।

सभापति महोदय : अभी कितनी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : 18 मिलियन टन के करीब एफ० सी० आई० की अपनी/इसके अलावा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के गोडाउन है, स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशंज के गोडाउन है। अगर फिर भी कहीं कमी पड़ती है, तो लोगों के प्राईवेट गोडाउन किराये पर ले लिये जाते हैं। दिक्कत उस वक्त पड़ती है, जब कुछ जगहों पर ज्यादा अनाज प्रोक्युर होता है। पंजाब और हरियाणा में सारे का सारा आनज कुछ अरसे के लिये जमा करना पड़ता है, क्योंकि रेल से उसे क्लीयर करने में देर लगती है। रेल पर स्टेट की नार्मल सप्लाई का—अनाज, फर्टलाइज़र, कोयले और दूसरी चीज़ों का—बोझा होता है। प्रोक्युरमेंट सीज़न में सरप्लस स्टेट्स से सारा अनाज एक दम नहीं ले जा सकते, इस लिये कुछ अरसे के लिये उसको खुला रखना पड़ता है। अगर सारे देश में देखा जाय, तो कैंपेसिटी काफ़ी है। लेकिन कहीं कहीं आनज का ज्यादा ढेर जाम हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां से अनाज इकट्ठा होता हो, वहां ज्यादा गोदाम बनाये जायें। उसकी तरफ सरकार का ध्यान है।

शास्त्री जी ने बिहार के लिये ज्यादा अनाज की मांग की है। आपने खुद ही फरमा दिया। बिहार अनाज पैदा करने वाली स्टेट है और उसमें पोटेंशल बहुत ज्यादा है। वहां काफी अनाज पैदा हो सकता है। अभी तो बिहार में गेहूं की फसल कट कर चुकी है। अगर प्रोक्युरमेंट नहीं हुआ, तो वह सारा गेहुं कहां चला गया ? वह लोगों के खाने के लिये हैं। वह घरों में भी है और मंडियों में भी है। थोड़ा इंतजार करना चाहिये। अगर बिहार का गेहूं बाहर नहीं गया है, अगर उसे एफ० सी० आई० ने नहीं खरीदा है और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा है, तो उस गेहूं से काम चल सकता है। इसलिये हम अभी नहीं बढ़ा रहे हैं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी इलाके में अनाज की कमी नहीं होने दी जायगी। अभी तो बारिश का मौसम है, अभी बरसात का मौसम है। बाज़ दफ़ा बाद में जो बरसात होती है, वह ज्यादा फ़ायदामन्द होती है। अगर पानी पहले बरस चुके और बाद में फ़सल सूख जाय, तो ज्यादा नुक्सान होता है। बारिश लेट जुलाई में शुरू हुई है। अगर वह अगस्त में चलती रही और इसका डिस्ट्रिब्यूशन ठीक हुआ, तो खरीफ का बम्पर क्राप भी हो सकता है। इसमें परेशानी या घबराने की बात नहीं है। बारिश को जितनी देर होगी, उसकी नमी अगली रबी की फ़सल को मदद दे सकती है, चने और सरसों की बिजाई अच्छी हो सकती है। अगर बिहार में भगवान ज्यादा नाराज़ रहे और वहां यह फसल पैदा न हो, तो हम अनाज की सप्लाई करेंगे और वहां की सारी दिक्कतों को दूर करेंगे।

MR. CHAIRMAN (Shri Chandrajit Yadav): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

—